



आवास अनुभाग/Housing Section

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

ICAR-Indian Agricultural Research Institute

नई दिल्ली 12-/ New Delhi-12

संख्या 6-5/2022/H/1173

दिनांक: 27/07/2026 जुलाई, 2026

विषय: भा. कृ. अनु. प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आवासों में निवासरत परिवार के सदस्यों एवं घरेलू सहायकों का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ: आवास अनुभाग परिपत्र संख्या 6-5/2022/H/218 दिनांक 29.04.2026, अनुस्मारक संख्या 6-5/2022/H दिनांक 12.06.2026 तथा द्वितीय अनुस्मारक दिनांक 03.07.2026।

यह देखा गया है कि दिनांक 29.04.2026 के परिपत्र तथा उसके उपरांत जारी दिनांक 12.06.2026 एवं 03.07.2026 के अनुस्मारक के बावजूद, आवंटी के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आवंटित आवास में निवासरत परिवार के सदस्यों एवं घरेलू सहायकों (यदि कोई हों) का अपेक्षित विवरण वर्तमान आवंटियों में से केवल लगभग 35% आवंटियों से ही प्राप्त हुआ है।

2. पुनः अवगत कराया जाता है कि उक्त सूचना आवासीय अभिलेखों के अद्यतन रख-रखाव, वास्तविक अधिभोग के सत्यापन तथा अनधिकृत उपयोग/उप-किरायेदारी की रोकथाम हेतु आवश्यक है। यदि कोई आवंटी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराता/कराती है, तो दिनांक 06.07.2026 के SOC मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार आवास का आवंटन रद्द किया जा सकता है। साथ ही उसे आवास अभिलेखों में **असहयोगी (Non-Compliant)** के रूप में दर्ज किया जा सकता है तथा उसकी अनुपालन स्थिति निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं आवास आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ऐसे अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवास संबंधी मामलों, जैसे आवास परिवर्तन, आवास प्रतिधारण अथवा अन्य आवास संबंधी अनुरोधों पर तब तक विचार/कार्यवाही नहीं किया जाएगा, जब तक कि अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं करा दी जाती।

3. अतः जिन आवंटियों द्वारा अभी तक अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनसे अनुरोध है कि वे उक्त जानकारी **दिनांक 03.08.2026** तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। उक्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र में आवास अनुभाग को ई-मेल आईडी iarihousingsection@gmail.com पर भेजी जा सकती है अथवा भौतिक रूप से भी अनुभाग में जमा कराई जा सकती है अथवा सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास) को ई-ऑफिस पर ई रसीद के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है।

4. इसे अत्यंत आवश्यक माना जाए।

संलग्नक : यथोक्त।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास)
27/07/2026

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास)

(Signature)

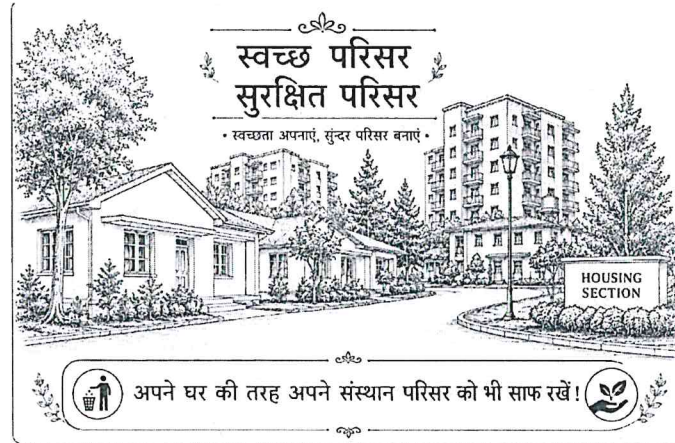
प्रति:

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सभी आवासों के आवंटी, जिनमें इसके क्षेत्रीय केंद्रों/स्टेशनों के आवंटी भी शामिल हैं।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सभी क्षेत्रीय केंद्रों/स्टेशनों के अध्यक्ष/प्रमुख, को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित सभी आवंटियों को इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अवगत कराएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव, सभी संयुक्त निदेशकों/विभागाध्यक्षों।
3. प्रभारी, ए.के.एम.यू. से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी की जानकारी हेतु आईएआरआई इंटरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सचिव, आईजेएससी।
5. सभी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष/सचिव।
6. आवास अनुभाग / सुरक्षा अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

टिप्पणी: हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।





आवास अनुभाग/Housing Section
भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
नई दिल्ली12-New Delhi-12

No. 6-5/2022/H/

Dated: 27th July, 2026

Circular

Subject: Submission of details of family members and domestic helps residing in ICAR-IARI residential accommodations

Reference: Housing Section Circular No. 6-5/2022/H/218 dated 29.04.2026, reminder 6-5/2022/H dated 12.06.2026 and second reminder dated 03.07.2026

It has been observed that despite circular dated 29.04.2026 and subsequent reminder dated 12.06.2026 and 03.07.2026, the requisite family details and details of domestic helps (if any) residing in ICAR-IARI residential accommodation with the allottee have been received only from 35% of the present allottees.

2. It is reiterated that information sought is essential for maintaining updated occupancy records, verification of bona fide occupation and prevention of unauthorised use/subletting. **In the event the desired information is not provided by the allottee, as per the decision in SOC meeting dated 06.07.2026, the allotted house may be liable for cancellation.** Also, the concerned allottee, he/ she may be recorded as non-compliant in Housing Records and the compliance status will be presented before the Director, IARI and House Allotment Committee. Further, with the approval of the Competent Authority, requests received from the erring officials/ staff relating to residential accommodation, such as change of accommodation, retention, or other housing-related matters, may not be processed until the requisite information is furnished.

3. All allottees who have not yet submitted the requisite details are, therefore, requested to furnish the desired information latest by 03.08.2026. The information can be provided in the format prescribed (Annexure I) of the circular dated 29.04.2026 and e-mailed on e-mail id iarihousingsection@gmail.com or can be submitted in physical

form in the Housing Section or can be submitted as e-receipt on e-office to the AAO, Housing Section.

4. This may be treated as **MOST URGENT**.

Encl. : As stated.

[Signature]
21/01/2026
Assistant Admn. Officer (Housing)

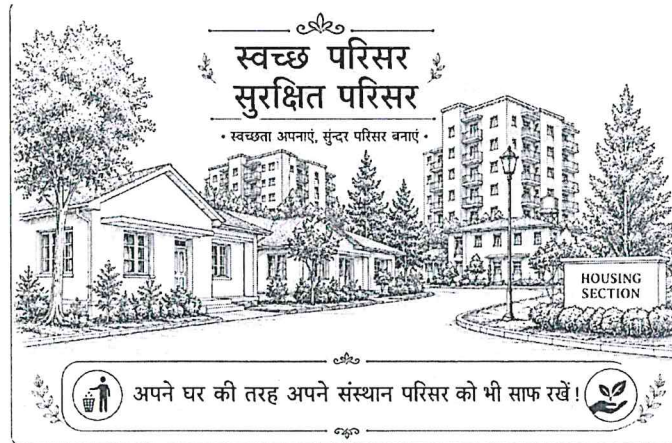
To :

- All Allottees of ICAR-IARI Residential accommodations including at its Regional Stations.
- All Heads of IARI-Regional Stations with the request to bring the contents to the notice of all the allottees of ICAR-IARI accommodation concerned.

Copy for information to:

1. PS to Director, ICAR-IARI, New Delhi
2. PS/PPS to all JDs/HODs
3. I/c AKMU with the request to upload this circular on the IARI intranet for information of all.
4. Secretary, IJSC.
5. All President/Secretary of RWAs.
6. Housing Section / Security Section.
7. Guard File.

Note: In case of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.



आवंटित आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों एवं सर्वन्ट क्वार्टर में रहने वाले घरेलू सहायक का विवरण प्राप्त करने हेतु प्रपत्र/ Proforma for obtaining details of family members residing in allotted quarter and details of domestic helps residing in Servant Quarters

- आवंटि का नाम एवं पदनाम/
Name of the allottee and designation: _____
- लिंग/ Gender: _____
- श्रेणी/ Category (SC/ST/PwD): _____
- आवंटित आवास संख्या, टाइप एवं स्थान (कृषि कुंज/ जनक विहार/ पूसा परिसर)
Allotted Quarter No. , Type and locality: _____
- तिथि जब से आवास में रह रहे हैं/ Date since when Quarter occupied: _____
- आवंटि का संपर्क नंबर एवं ई-मेल आई. डी./
Contact No. of allottee along with e-mail ID: _____
- आवंटि का आधार नंबर/
Aadhaar No. of Allottee _____
- परिवार का विवरण/ Details of family

क्रम संख्या /S.No.	नाम/ Name	आयु/ Age	आवंटि के साथ संबंध/ Relation with the allottee
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

- सर्वन्ट क्वार्टर में रहने वाले घरेलू सहायक/सहायकों का विवरण (यदि कोई हो)/ Details of servants residing in servant quarters (if any)

क्रम संख्या /S.No.	नाम (उपनाम, यदि कोई हो)/ Name (Alias, if any)	आयु/ Age	संपर्क नंबर एवं ई-मेल आई. डी./ Contact number/ e-mail ID

घोषणा/ Declaration:

मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/ करती हूँ कि/ I hereby solemnly declare that:

- (i) भा. कृ. अनु. प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नियम/जीपीआरए-2017 नियमों के अनुसार उपर्युक्त आवास पर केवल मेरा और मेरे परिवार के पात्र सदस्यों का कब्जा है। पारिवारिक विवरण में कोई भी बदलाव मेरे द्वारा अद्यतन किया जाएगा और आवास अनुभाग को तुरंत सूचित किया जाएगा।
The above-mentioned accommodation is occupied only by me and my eligible family members as per ICAR-IARI Allotment Rules/ GPRA-2017 Rules. Any changes in family details will be updated by me and intimated to Housing Section immediately.
- (ii) आवास का कोई भी हिस्सा पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी भी व्यक्ति को किराये पर नहीं दिया गया है।
No portion of the accommodation has been sublet, either wholly or partly to any person.
- (iii) परिसर का उपयोग पूरी तरह से आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, न कि किसी वाणिज्यिक या अनधिकृत गतिविधि के लिए।
The premises is being used strictly for residential purposes and not for any commercial or un-authorised activity
- (iv) मैं समझता/ समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा झूठी पाई जाती है, तो मैं जीपीआरए-2017 दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) सहित लागू नियमों के तहत आवंटन रद्द करने, बेदखली, क्षति (दंडात्मक लाइसेंस शुल्क), डिबारमेंट और अनुशासनात्मक कार्रवाई को करने के लिए उत्तरदायी होगा।
I understand that in case the above declaration is found false, I shall be liable for cancellation of allotment, eviction, damages (penal license fee), debarment, and disciplinary action under applicable rules including GPRA-2017 guidelines (as amended from time to time).

(आवंटि के हस्ताक्षर दिनांक सहित/ Signature of the allottee with date)

टिप्पणी/ Note:

आवंटियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रोफार्मा को सभी दृष्टियों से पूर्ण करके, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ, आवास अनुभाग (Housing Section) के ई-मेल ID: iarihousingsection@gmail.com पर जमा करें:

1. आवंटि के आधिकारिक पहचान पत्र (ID proof) की प्रति।
2. आवंटि के परिवार के सदस्यों के फोटो पहचान पत्र।
3. सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले घरेलू सहायक/सहायकों के पुलिस सत्यापन दस्तावेज (यदि कोई हों)।

The allottees are requested to submit the above proforma complete in all respects alongwith a copy of the following documents to Housing Section on e-mail ID: iarihousingsection@gmail.com:

1. Copy of the official ID proof of the allottee.
2. Photo ID proof of family members of the allottee.
3. Police verification documents of servants residing in servant quarters (if any).

नोट: हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।